2017/00535

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री हाजी मदार बख्श पुत्र बिस्मिला खां निवासी कुचीलपुरा, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 265/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

27.11.17

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

2 अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 21.06.17 में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलवाई जावे।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा जवाब क्रमांक 2091 दिनांक 08.11.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समयावधि में तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को हस्तानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया।

4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर के प्रतिनिधि ने अपने जवाब संख्या 4588 दिनांक 13.11.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रानी बाजार, जेलवैल ओवर ब्रिज के पास उत्तर में ट्राफिक पुलिस ओफिस, पूर्व में कब्रिस्तान की भूमि दरगाह व ट्रेफिक ओफिस के बीच में ट्राफिक पैलेस जहां निर्माण कार्य करवा रहे है, की भूमि किस खसरा नम्बर में आती है। प्रश्नात्मक सूचना होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है, तथा अपीलार्थी उक्त भूमि का सीमा ज्ञान करवा कर रिपोर्ट चाहता है। आर.टी.आई. में सीमा ज्ञान कराने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलार्थी को जरिये डाक भेजी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (राजस्व),, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

6. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

27/11

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर